

कार्यालय—छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

ग्राम—उरला,पोस्ट—बी.एम.वाय.चरोदा जिला—दुर्ग (छ.ग.)

॥ दुग्ध संकलन परिवहन निविदा ॥

01	निविदा कार्य—दुग्ध संकलन परिवहन बाबत	
02	निविदा अवधि	दिनांक 01.09.2025 से 31.08.2026 / 31.08.2027 तक—02 वर्ष
03	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की विधि	निविदा प्रपत्र केवल छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की वेबसाईट www.cgcoopdairyfed.in से दिनांक 09/06/2025 से डाउनलोड किया जा सकेगा।
04	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1000/- का डिमांड ड्राफ्ट जो "छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित" (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit) के नाम से रायपुर में देय हो संलग्न करना होगा।
05	निविदा जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान (निविदा केवल डाक द्वारा स्वीकार्य)	दिनांक—10/07/2025 दोपहर—02.00 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा निम्न पते पर प्राप्त निविदायें ही शामिल की जावेगी :- प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित ग्राम—उरला, पोस्ट बी.एम.वाय. चरौदा जिला—दुर्ग (छ0ग0) पिन कोड 490025
06	निविदा खोलने की तिथि	मुख्य दुग्ध संयंत्र उरला में दिनांक—10/07/2025 को दोपहर 03.00 बजे प्राप्त निविदायें खोला जायेगा।
07	निविदा खोलने की प्रक्रिया	सर्वप्रथम लिफाफा "द" खोलकर लिफाफा "अ, ब, स" प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात् लिफाफा "अ" को खोलकर निविदा प्रपत्र शुल्क, अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट सही पाये जाने पर, लिफाफा "ब" खोलकर वाहन से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच की जायेगी। लिफाफा "ब" में वाहन संबंधित सभी दस्तावेज सही पाये जाने पर लिफाफा "स" दर पत्रक खोला जायेगा।

नोट :- निविदा प्राप्ति एवं खोलने की तिथि में किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने पर, निविदा अगले कार्यदिवस में समान निर्धारित समय तक प्राप्त करते हुए, समान निर्धारित समय में खोला जायेगा।

कार्यालय—छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम—उरला,पोस्ट—बी.एम.वाय.चरोदा जिला—दुर्ग (छ.ग.)

निविदा क्रमांक 928 /छगदुमसं/क्षेत्र संचा./2025-26

दिनांक - 06/06/2025

॥ दुग्ध संकलन परिवहन हेतु निविदा सूचना ॥

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के अधीनस्थ संयंत्रों, शीत केन्द्र एवं बल्क मिल्क कुलर सेन्टरों के दुग्ध संकलन मार्गों में दुग्ध संकलन वाहन परिचालन हेतु दो वर्ष अवधि की अनुबंध के लिए सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। वांछित विस्तृत विवरण महासंघ की वेबसाइट www.cgcoopdairyfed.in में उपलब्ध है। निविदा दिनांक—10.07.2025 को दोपहर 3:00 बजे दुग्ध महासंघ उरला मुख्य कार्यालय में खोली जायेगी।

प्रबन्ध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

कार्यालय—छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित
ग्राम—उरला, पोस्ट—बी.एम.वाय. चरोदा जिला—दुर्ग (छ.ग.)

निविदा क्रमांक/928/छगदुमसं/क्षेत्र संचा./2025-26

दिनांक 06/06/2025

//दुग्ध संकलन परिवहन हेतु निविदा सूचना//

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के अधीनस्थ संयंत्रों, शीत केन्द्र एवं बल्क मिल्क कुलर सेन्टरों के दुग्ध संकलन मार्गों में दुग्ध संकलन वाहन परिचालन हेतु दो वर्ष अवधि की अनुबंध के लिए सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। वांछित विस्तृत विवरण महासंघ की वेबसाइट www.cgcoopdairyfed.in में उपलब्ध है। निविदा दिनांक—10.07.2025 को दोपहर 3:00 बजे दुग्ध महासंघ उरला मुख्य कार्यालय में खोली जायेगी।

प्रबन्ध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

कार्यालय—छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

ग्राम—उरला,पोस्ट—बी.एम.वाय.चरोदा जिला—दुर्ग (छ.ग.)

निविदा प्रपत्र नियम एवं शर्तें

(1) कार्य का विवरण (Scope of Work)

- (i) दुग्ध संकलन परिवहन कार्य— दुग्ध समितियों से निकटम बी.एम.सी., शीत केन्द्र अथवा संयंत्र तक।
 - (ii) शीतलीकृत दुग्ध का परिवहन कार्य— बी.एम.सी. से दुग्ध शीत केन्द्र अथवा संयंत्र तक।
- दुग्ध संकलन का कार्य संलग्न दुग्ध संकलन मार्गों से परिशिष्ट-04 के अनुसार किया जावेगा।
 - इस कार्य हेतु निम्नलिखित वाहनो की आवश्यकता होगी।

(1) ए.सी.ई. / समकक्ष	— क्षमता 1.0 मीट्रिक टन	संख्या—10
(2) मैक्स / पिकअप / समकक्ष	— क्षमता 1.5 मीट्रिक टन	संख्या—15
(3) 407 / समकक्ष	— क्षमता 2.5—3.0 मीट्रिक टन	संख्या—01
- वाहनो की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

(2) पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

- दुग्ध संकलन परिवहन कार्य हेतु वाहन मॉडल 2015 से 2019 तक के वाहनो को एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जायेगा। तथा 2020 या इसके बाद के वाहनो को 2 वर्ष के लिए अनुबंध किया जायेगा।
- दुग्ध संकलन कार्य हेतु वाहन मॉडल वर्ष 2020 या इसके बाद को प्राथमिकता दी जावेगी। वर्ष 2020 के पूर्व के वाहनो के निविदा भरने की दशा में निविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा की वाहन अच्छी स्थिति में उचित रख-रखाव के साथ रखी गई हो तथा जीवित पंजीयन एवं बीमा हो। यदि अवलोकन में वाहन उपयुक्त नहीं पाई गई तो एक सप्ताह में अर्नेस्ट मनी राजसात कर निविदा निरस्त किया जाकर अन्य निविदाकार को अवसर दिया जा सकेगा।
- वाहन निविदाकार के नाम से होना चाहिए एवं आधार कार्ड से पेन कार्ड लिंक होना अनिवार्य है।
- ठेकेदार प्रतिबंधित अथवा कालीसूची में किसी भी विभाग द्वारा नही डाला गया है, इससे संबंधित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र।
- वाहन का रजिस्ट्रेशन, अद्यतन रोड टैक्स, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, जो नया वाहन लगायेगे वे वाहन का कोटेशन पेपर, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस संलग्न करेंगे। "ब" लिफाफा में उपरोक्त सभी दस्तावेज नही होने पर निविदा निरस्त की जायेगी। नये वाहन बी.एस.—6 मॉडल के ही मान्य किया जावेगा।

उपरोक्त से संबंधित प्रमाणपत्रो की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

(3) **अर्नेस्ट मनी (EMD)**

अर्नेस्ट मनी (EMD) की राशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के नाम से रायपुर में देय हो, जमा की जावेगी। यह राशि नगद जमा नहीं होगी।

क्र.	वाहन का प्रकार	राशि रू.
1	ए.सी.ई./समकक्ष	10000.00
2	मैक्स/पिकअप/समकक्ष	10000.00
3	407/समकक्ष	15000.00

- सफल निविदाकार की अर्नेस्ट मनी रखी जाकर, असफल निविदारो की अर्नेस्ट मनी कार्य आदेश जारी होने के एक माह पश्चात् वापस कर दी जावेगी।
- अनुबंध अनुसार वाहन का संचालन नहीं करने पर (दण्डात्मक कार्यवाही) प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी।

(4) **दर प्रस्ताव की वैधता (Rate Validity of Offer)**

- निविदा दर प्रस्ताव अवधि 90 दिवस होगी।

(5) **दण्ड (Penalty)**

- दुग्ध परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति होने पर अनुबंध की कंडिकाओं के अनुसार निर्धारित राशि की वसूली की जावेगी।

(6) **भुगतान (Payment Terms)**

- द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह दो बार (01–15 एवं 16–31) की अवधि में देयको का भुगतान किया जावेगा। वाहन ठेकेदार प्रत्येक पखवाड़े के देयक 7 दिवस के भीतर भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(7) **निविदा की प्रक्रिया (Bidding Process)**

- निविदा प्रपत्र बिना कांटछांट/काटपीट के स्वच्छ अक्षरो में होना चाहिए, जिसे बंद लिफाफे में एवं लिफाफे के उपर कार्य विवरण अर्थात् निविदा क्रमांक एवं दुग्ध संकलन मार्ग क्रमांक, निविदाकार का नाम एवं हस्ताक्षर सहित आवश्यक रूप से अंकित कर जमा किया जावे। यदि किसी प्रकार की निविदा भरते समय कांटछांट/काटपीट की जाती है तो निविदाकार का हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा।

— निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी—

लिफाफा—(अ)

इस लिफाफे में परिशिष्ट—1, निविदा प्रपत्र एवं अर्नेस्ट मनी से संबंधित डिमांड ड्राफ्ट रखे जायेगे। लिफाफे के उपर दुग्ध परिवहन हेतु निविदा, अर्नेस्ट मनी— लिफाफा—(अ) सुस्पष्ट रूप से लिखा हो एवं लिफाफा सीलबंद किया गया हो।

लिफाफा—ब

इस लिफाफे में परिशिष्ट—2 में समस्त जानकारी भरकर, पात्रता संबंधी कंडिका—2 के अनुसार समस्त अभिलेख रखे जावे। लिफाफे के उपर पात्रता संबंधी दस्तावेज— दुग्ध संकलन परिवहन कार्य लिफाफा—(ब) सुस्पष्ट रूप से लिखा जावे।

लिफाफा—स

इस लिफाफे में परिशिष्ट—3 में दर पत्रक एवं समस्त जानकारी भरकर प्रस्तुत करें। लिफाफे के उपर दर पत्रक—दुग्ध संकलन परिवहन कार्य लिफाफा—(स) सुस्पष्ट रूप से लिखा जावे।

इन तीनों लिफाफे को अच्छी तरह सीलबंद करके एक बड़े लिफाफे में रखकर सीलबंद किया जावे एवं लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से दुग्ध संकलन कार्य हेतु निविदा व दुग्ध संकलन मार्ग क्रमांक व विवरण का उल्लेख करते हुए लिफाफा—(द) लिखा जावे।

इसके उपरांत लिफाफा—(द) को सीलबंद करके प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को केवल पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट से निर्धारित तिथि एवं समय पूर्व भेजा जावे।

निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।

(8) निविदा खोलने की प्रक्रिया—

- सर्वप्रथम लिफाफा—(द) को खोलकर तीनों लिफाफे क्रम के अनुसार खोले जावेगे अर्थात् सर्वप्रथम लिफाफा—(अ) खोला जावेगा। इसमें निर्धारित अर्नेस्ट मनी एवं फार्म की कीमत का बैंक ड्राफ्ट सही पाये जाने पर, लिफाफा—(ब) खोला जावेगा।
- लिफाफा—(ब) में पात्रता संबंधी समस्त दस्तावेज परिशिष्ट—2 के साथ रखे जावेगे। सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर ही लिफाफा—(स) दर पत्रक खोला जावेगा।

(9) **सामान्य नियम एवं शर्तें (General Terms & Conditions)**

- प्रत्येक दुग्ध संकलन मार्ग हेतु पृथक-पृथक निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
- निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा मान्य नहीं होगी।
- निविदा लिफाफा सीलबंद होना चाहिए।
- प्राईवेट डेयरी में संचालित वाहन अथवा प्राईवेट डेयरी में कार्यरत कर्मचारी की निविदा स्वीकृत नहीं होगी।
- निविदा दर वर्तमान दर से 5 प्रतिशत से कम होने पर, निविदा अमान्य किया जावेगा।
- अनुबंधित संकलन वाहन में शेड/हुड लगाना अनिवार्य है। वाहन में शेड/हुड नहीं पाये जाने पर प्रत्येक परिवहन देयक से रू. 5000/- कटौती की जायेगी।
- महासंघ के संचालक मण्डल सदस्य या महासंघ में कार्यरत कर्मचारी के निकट रिश्तेदार की निविदा (महासंघ के उपनियम के अनुसार) स्वीकृत नहीं होगी।
- खुले हुए निविदा लिफाफा स्वीकार नहीं होंगे।
- आवश्यकता होने पर निविदाकार को अपना वाहन निरीक्षण हेतु कार्यालय में लाना होगा।
- वाहन पूर्णतः निविदाकार के नाम से होना आवश्यक है, बिक्रीनामा वाहन मान्य नहीं होगा। सोल्ड वाहन वाले निविदाकारों को नया वाहन ही खरीदना अनिवार्य है, पुराने वाहन सोल्ड वाहन की श्रेणी में नहीं माना जाएगा।
- निविदा स्वीकृत होने एवं कार्य आदेश जारी होने पर निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित किया जावेगा। जिसमें प्रत्येक दुग्ध संकलन मार्ग पर दिये जाने वाले वाहन की प्रतिभूति राशि निम्नानुसार रहेगी—

क्र.	वाहन का प्रकार	प्रतिभूति राशि
1	ए.सी.ई. / समकक्ष	– 30000.00 प्रति वाहन
2	मैक्स / पिकअप / समकक्ष	– 40000.00 प्रति वाहन
3	407 / समकक्ष	– 60000.00 प्रति वाहन
- सफल निविदाकार की अर्नेस्ट मनी को प्रतिभूति राशि में समायोजन किया जावेगा एवं निविदाकार की शेष प्रतिभूति राशि को प्रथम तीन देयक से समान किश्तों में काटा जायेगा।
- महासंघ द्वारा निविदाकार से प्राप्त धरोहर एवं प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

- दुग्ध संकलन मार्ग पर पड़ने वाले टोल टैक्स का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जावेगा। जिन मार्गों पर अनुबंध पश्चात् नये टोल टैक्स प्रारंभ होंगे उनके लिए अलग से भुगतान किया जावेगा।
- निविदा स्वीकृत होने पर रु. 100.00 के नानज्यूडिशियल स्टाम्प पेंपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- अनुबंधित वाहन पर दुग्ध महासंघ का विज्ञापन तथा महासंघ का संपर्क नंबर लिखवाना अनिवार्य होगा। निर्धारित दर पर प्रदाय डिजाईन अनुसार विज्ञापन के देयक की पूर्ति दुग्ध महासंघ द्वारा की जावेगी।
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाईसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व वाहन ठेकेदार का होगा।
- निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक दुग्ध महासंघ के पास सुरक्षित रहेगा।
- संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने या दुग्ध टेंकर संचालित करने पर संकलन वाहन ठेकेदार को एक माह की सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
- दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलर में अवरोध उत्पन्न होने पर किसी भी वाहन को अनुबंधित दर पर उन बल्क मिल्क कूलर वाली समितियों में संकलन हेतु भेजा जा सकेगा।
- संयंत्र/शीत केन्द्र/बी.एम.सी. में अवरोध होने पर संकलन वाहनों को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र/बी.एम.सी. की समितियों में अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।
- पृथक-पृथक मार्ग पर एक ही वाहन की निविदा प्राप्त होने तथा स्वीकृत होने पर दुग्ध महासंघ को यह अधिकार होगा कि वह किस मार्ग की निविदा स्वीकृत करें एवं यह निर्णय निविदाकार को मान्य होगा।
- अस्वीकृत निविदा की धरोहर राशि अंतिम निर्णय होने के पश्चात् वापसी योग्य होगी।
- निविदा एक/दो वर्ष की होगी। प्रथम पक्ष को यह अवधि इन्ही शर्तों के अधीन तीन माह तक बढ़ाने का अधिकार होगा। आपसी सहमति से यह अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
- वाहन हमेशा साफ रखना अनिवार्य होगा। परिचालन के दौरान वाहन गंदी पाये जाने पर ऐसी प्रत्येक घटना पर रु. 500.00 का अर्थदण्ड परिवहन देयको से वसूल किया जावेगा।

- प्रत्येक वाहन में एक Dedicated मोबाईल उपलब्ध कराना होगा तथा वाहन में कार्यरत स्टाफ (चालक/परिचालक) को यह मोबाईल रखना अनिवार्य होगा।
- सफल निविदाकार अनुबंध का कार्य मुख्यालय रायपुर (उरला संयंत्र) में वाहन चलाने के 15 दिवस पहले ही सम्पन्न कराना अनिवार्य है, अन्यथा उक्त मार्ग के सफल निविदाकार की निविदा निरस्त मानी जाएगी।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त अनुबंध में वर्णित शर्तें निविदाकार को मान्य होगी।

(10) **संनिष्ठा संधि**

- निविदाकार को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न संनिष्ठा संधि अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी।

(11) **सीमांकन क्षेत्र (Arbitration)**

- किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति में प्रबंध संचालक— छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(12) **न्यायालयीन प्रक्रिया का कार्यक्षेत्र (Judicial of Coart)**

- समस्त न्यायालयीन वाद का कार्यक्षेत्र रायपुर होगा।

लिफाफा-(अ) अर्नेस्ट मनी डी.डी.

कार्यालय-छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या..

ग्राम-उरला,पोस्ट-बी.एम.वाय.चरोदा जिला-दुर्ग (छ.ग.)

॥ निविदा फार्म वर्ष 2025-26 ॥

- (1) निविदाकार का नाम _____
- (2) पिता का नाम _____
- (अ) निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रु. _____
- अक्षरी _____
- (1) डिमांड डाफ्ट (डी.डी.) नं. एवं दिनांक _____
- _____
- (2) डिमांड डाफ्ट (डी.डी.) जारीकर्ता बैंक नाम _____
- एवं शाखा का नाम _____
- (ब) अर्नेस्ट मनी राशि रु. _____
- अक्षरी _____
- (1) डिमांड डाफ्ट (डी.डी.) नं. एवं दिनांक _____
- _____
- (2) डिमांड डाफ्ट (डी.डी.) जारीकर्ता बैंक नाम _____
- एवं शाखा का नाम _____

(संलग्न मूल डी.डी.)

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम_____

लिफाफा-(ब) वाहन संबंधी कागजात

कार्यालय-छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या..

ग्राम-उरला,पोस्ट-बी.एम.वाय.चरोदा जिला-दुर्ग (छ.ग.)

॥ निविदा फार्म वर्ष 2025-26 ॥

- (1) निविदाकार का नाम _____
- (2) पिता का नाम _____
- (3) वाहन का पंजीयन क्रमांक _____
- (4) वाहन का प्रकार एवं क्षमता/मॉडल वर्ष _____

- (5) वाहन का जीवित फिटनेस प्रमाण पत्र है (हाँ/नहीं)
- (6) वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र का विवरण _____

- (7) वाहन का जीवित बीमा प्रमाण पत्र है (हाँ/नहीं)
- (8) वाहन का बीमा प्रमाण पत्र का विवरण _____

- (9) बैंक का नाम _____
- (10) बचत बैंक खाता क्रमांक _____
- (11) आई.एफ.एस.सी. कोड नं. _____
- (12) पेन कार्ड नं. _____

(उपरोक्त समस्त प्रणाम पत्रों की छायाप्रति संलग्न करें)

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम-----

लिफाफा-(स) दर प्रपत्र**कार्यालय-छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या..**

ग्राम-उरला,पोस्ट-बी.एम.वाय.चरोदा जिला-दुर्ग (छ.ग.)

॥ निविदा फार्म वर्ष 2025-26 ॥

प्रति,

प्रबन्ध संचालक,

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.,

ग्राम-उरला, पोस्ट-बी.एम.वाय.चरोदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

महोदय,

निविदाकार का
फोटो

मैने आपके कार्यालय द्वारा जारी दुग्ध संकलन परिवहन निविदा एवं संबंधित अनुबन्ध की शर्तें पढ़ ली हैं, यह निविदा स्वीकृत की जाती है तो अपना वाहन नियत दिनांक एवं समय पर उपलब्ध कराउंगा। वांछित जानकारी निम्नानुसार है-

- (1) निविदाकार का नाम _____
- (2) पिता का नाम _____
- (3) स्थायी पूरा पता _____
- (4) दूरभाष/मोबाईल नंबर _____
- (5) निविदा विवरण-

मार्ग का नाम मार्ग विवरण

अनुमानित दूरी कि.मी. प्रतिदिन (मार्ग विवरण में दर्ज अनुसार लिखे)	वाहन का प्रकार	क्षमता	मॉडल वर्ष	वाहन क्रमांक	दर प्रति कि.मी.

(अक्षरी रू.-----)

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम-----

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, रायपुर

ग्राम-उरला पोस्ट बी.एम.वाय. चरोदा जिला-दुर्ग (छ0ग0)

दुग्ध संकलन मार्ग विवरण (01.09.2025 से 31.08.2026 / 31.08.2027 तक)

क्र.	मार्ग क्रमांक	मार्ग विवरण	वाहन का प्रकार	क्षमता टन	कुल कि.मी. प्रतिदिन
<u>उरला डेयरी से संबद्ध मार्ग</u>					
1	4 शटल	बड़गांव-खौली-नारा-टेकारी-बड़गांव	टाटा ए.सी..ई.	1.0	96
2	5 शटल	बंगोली से मढ़ी	टाटा ए.सी..ई.	1.0	58
3	8 संकलन	सरदा-बारगांव-बेरला	टाटा ए.सी..ई.	1.0	110
4	8 शटल	माटरा-मावलीभाठा	टाटा ए.सी..ई.	1.0	136
5	5 सुबहपाली	बंगोली-पलारी-बंगोली	टाटा ए.सी..ई.	1.0	80
6	8 शीतलीकृत	सरदा-मावलीभाठा-उरला डेयरी	टाटा 407	3.0	123
7	24 संकलन	लखौली-तान्दुल-नरियरा-रसनी	पिकअप	1.5	156
8	बीजागोड़ शीतलीकृत	बीजागोड़-खैरागढ़-सण्डी-उरला डेयरी	पिकअप	1.5	225

<u>दुग्ध शीत केन्द्र बसना से संबद्ध मार्ग</u>					
9	अमलीडीपा-1	अमलीडीपा-कलगीडीपा-डंगनिया-पठारीपाली-पिपरदा-कंवरपाली-बिरकोल	पिकअप	1.5	132
10	के.एन.-1	कुटेला-सेमलिया-सिरपुर-केना	पिकअप	1.5	184
11	बसना 6-सी	गहनाखार-सिंघोड़ा-लिमगांव-बसना	पिकअप	1.5	276
12	बसना 6-ई	कुदारीबहरा-सिंघनपुर-भूकेल	पिकअप	1.5	114
13	बसना टप्पा नया मार्ग	डोंगरीपाली-भैरापुर-टेका-टप्पा	पिकअप	1.5	82
14	बसना 6 ए	अजगरखार-बिटांगीपाली-बसना	पिकअप	1.5	152

<u>सारंगढ से संबद्ध मार्ग</u>					
15	बरपाली-1	अमलीपाली-नवागांव-बरपाली	पिकअप	1.5	116
16	बरपाली-2	कोसमडीह-देवगांव-पंचधार-बरपाली	पिकअप	1.5	82
17	गोबरसिंघा-1	कोतमरा-डभरा-गोबरसिंघा	पिकअप	1.5	158
18	लेन्धा-1	कपरतुंगा-खिचरी-सराईपाली	टाटा ए.सी..ई.	1.0	52
19	मल्दा बसना शीत.	टिमरलगा-कपिस्दा ब-सिंगारपुर-मल्दा ब	पिकअप	1.5	264

<u>चुरेगांव बी.एम.सी. से संबद्ध मार्ग</u>					
20	चुरेगांव बी.एम.सी.	चुरेगांव संकलन	टाटा ए.सी..ई.	1.0	40

<u>अर्जुन्दा बी.एम.सी. से संबद्ध मार्ग</u>					
21	अर्जुन्दा नया मार्ग	धमतरी-अर्जुन्दा-दल्ली-डौंडी	पिकअप	1.5	194

<u>दुग्ध शीत केन्द्र धमतरी से संबद्ध मार्ग</u>					
22	धमतरी-02	चारवाही-भरदा-फागुनदाह-धमतरी	पिकअप	1.5	184
23	धमतरी-05	संकरी-सिलघट-टिपानी-धमतरी	पिकअप	1.5	168
24	धमतरी-04	खरेंगा-भोथली-बोडरा	पिकअप	1.5	158

	दुग्ध शीत केन्द्र भाठागांव से संबद्ध मार्ग				
25	भाठागांव-01	चिंवरी-गैजी-दर्दा-मूरा-थूहा-बगौद	टाटा ए.सी.ई.	1.0	150
26	भाठागांव-02	करेली-भेण्डरी-भोथीडीह-अरौद	टाटा ए.सी.ई.	1.0	166

वाहन का प्रकार	क्षमता	संख्या
(1) 407	3.0 MT	01
(2) पिकअप	1.5 MT	15
(3) ए.सी.ई.	1.0 MT	10
	<u>योग</u>	<u>26</u>

दुग्ध संकलन कार्य हेतु अनुबन्ध

फोटो

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक को लिखा गया जिसका प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित उरला बी.एम.वाय. चरोदा जिला दुर्ग एवं द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती निवासी है।

यह अनुबन्ध उभय पक्षकारों के बीच दुग्ध संकलन मार्ग क्रमांक ----- मार्ग विवरण -----
द्वितीय पक्ष/वाहन ठेकेदार/की वाहन क्रमांक-----माडल -----
----- भार वाहन क्षमता----- टन, रुपये ----- शब्दों में ----- प्रति कि.मी./प्रति पाली की दर से अनुमानित दूरी ----- कि.मी. आज दिनांक ----- जो निम्नलिखित शर्तों पर दुग्ध संकलन कार्य हेतु निष्पादित किया गया :-

- (1) यह अनुबन्ध अवधि दिनांक ----- से ----- तक रहेगा । प्रथम पक्ष को यह अवधि इन्हीं शर्तों के अधीन तीन माह तक बढ़ाने का अधिकार होगा । आपसी सहमति से यह अवधि एक वर्ष तक और बढ़ायी जा सकती है ।
- (2) इन शर्तों को दुग्ध संकलन परिवहन ठेके की शर्तें कहा जायेगा । शर्तों में जहां – जहां संस्था शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य सहकारी दुग्ध समिति मर्यादित एवं जहां-जहां महासंघ शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या., उरला, जिला- दुर्ग माना जावेगा । डेयरी का तात्पर्य डेरी डाक उरला, जिला- दुर्ग होगा एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के अंतर्गत शीत केन्द्र शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य दुग्ध शीत केन्द्र बसना, धमतरी, पखांजूर, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़, भाटागांव, अम्बिकापुर, बैकुंठपुर, जशपुर, कबीरधाम एवं बी.एम.सी. टप्पासेवईया, गोड़बहाल, छिलपावन, नरतौरा, कसहीबहरा, खुटेरी, जोरातराई, कौहाकुड़ा, उमरिया, मोहदा, केदुवा, अमलीडीपा, केना, रंगोरा, भगतदेवरी, लेन्धा, बरपाली, गोबरसिंघा, अमझर, बनहर, लखौली, अमेरा, रोहांसी, कोसरंगी, रावण, श्यामनगर, बम्हनीडीह, सहदेवनगर, अर्जुन्दा, खैरागढ़, बड़गांव, बंगोली, सुंगेरा, मावलीभाठा, सरदा, बीजागोड़, चुरेगांव, डौंडीलोहारा, संडी, सिमगा, खिलोरा, ढांक, बावनकेरा, बांदे एवं बाद में प्रारंभ किये जाने वाले बी.एम.सी. से होगा ।
- (3) द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध निष्पादन के पूर्व प्रतिभूति राशि/जमानत राशि जिसमें ए.सी.ई /समकक्ष हेतु रुपये 30000/- (अक्षरी रुपये तीस हजार मात्र), मैक्स/पिकअप/समकक्ष हेतु रुपये 40000/- (अक्षरी चालीस हजार रुपये मात्र) एवं 407/समकक्ष हेतु रुपये 60000/- (अक्षरी साठ हजार रुपये मात्र) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या., उरला, जिला-दुर्ग में ड्राफ्ट अथवा नगद रूप में जमा करना होगा या ठेकेदार के आवेदन पर प्रथम तीन परिवहन देयक से समान किश्तों में प्रतिभूति राशि कटौती की जावेगी, इस राशि पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा। अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर संबंधित दुग्ध समितियों से/क्षेत्राधिकारी/ग्रामीण विस्तार संगठकों से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर राशि की वापसी हेतु आवेदन महासंघ में प्रस्तुत करना होगा तथा लेनदारी/देनदारी का समायोजन अंतिम देयक से प्रथम पक्ष द्वारा तीन माह के अंदर किया जायेगा । द्वितीय पक्ष को अनुबन्ध समाप्त या अन्य वजह से अनुबन्ध समाप्त होने पर एक माह के भीतर मार्ग के संबंधित दुग्ध समितियों से अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

- (4) प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार प्रतिदिन सुबह/शाम एक पाली अथवा दोनों पाली में निर्धारित समय पर धुले, खाली केन ढक्कन सहित नामांकित संस्थाओं को पहुंचाने एवं दूध से भरे केन ढक्कन सहित डेयरी तक लाने की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी । इस हेतु महासंघ द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार दी गई निर्धारित समय सारणी ठेकेदार को (द्वितीय पक्ष) द्वारा मान्य होगी । समितियों द्वारा दूध केनों को सीलड कर भेजा जाता है उन सभी केनों को सीलड डेयरी डाक तक मापतौल होने तक सुरक्षित रखने की जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी । केन सीलड टूटे अथवा बदले पाये जाने पर एवं ऐसी दशा में समिति से हानि की शिकायत प्राप्त होने पर हानि की राशि ठेकेदार के देयक से वसूली जावेगी । मार्ग पर किसी संस्था का दूध न लाये जाने पर द्वितीय पक्ष को कारण सहित लिखित सूचना महासंघ को उसी दिन एवं उसी पाली में देनी होगी, जिसकी जांच महासंघ द्वारा की जायेगी । केन व ढक्कन प्राप्ती एवं प्रदाय मात्रा का हिसाब द्वितीय पक्ष को देना होगा । संस्थाओं में केन एवं ढक्कन बदलने की दशा में या गुम हो जाने की दशा में ठेकेदार को एक सप्ताह के अंदर निदान करना होगा । निदान न होने कि स्थिति में संस्थाओं के एल्यूमिनियम केन मय ढक्कन की राशि रू. 4000.00 (अक्षरी चार हजार मात्र) जिसमें केन की राशि रू. 3500.00 + ढक्कन की राशि रू. 500.00) तथा स्टेनलेस स्टील केनमय ढक्कन की राशि रू.4500.00 (अक्षरी चार हजार पांच सौ मात्र, जिसमें केन की राशि 4000.00 + ढक्कन की राशि 500.00) वाहन ठेकेदार के देयक से काटी जायेगी । इस हेतु महासंघ का निर्णय अंतिम एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा । महासंघ द्वारा संस्थाओं को दिये जाने वाले सामान पशु आहार, घी, घास बीज, संस्था में लगने वाले मिलको टेस्टर, इलेक्ट्रानिक तौल कांटा, दुग्ध संग्रहण व जांच उपकरण सामान एवं लेखन सामग्री, रजिस्टर, एसिड, अलकोहल एवं अन्य सामान डेयरी से ले जाने व संस्था में उतारने, उसका लेखा जोखा महासंघ द्वारा बताये अनुसार द्वितीय पक्ष को रखना होगा । उक्त सामान गुम होने पर नुकसान होने अथवा उसी दिन उसी पाली में संस्था को न पहुंचाये जाने की स्थिति में उस सामान की पूरी कीमत एवं रूपये 50/- प्रति समिति दण्ड लगाकर द्वितीय पक्ष से वसूल की जायेगी ।
- (5) किसी दशा में डेयरी पर वाहन समय पर नहीं पहुंचने की स्थिति में दूध खराब होने पर होने वाले समस्त नुकसान की राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जायेगी । इसके अतिरिक्त यदि संकलित दूध का 50 प्रतिशत से अधिक खट्टा/फटा दूध डेयरी डाक पर प्राप्त होने पर परिवहन भाड़े से 50 प्रतिशत का कटौती किया जायेगा जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगा ।
- (6) वाहन ठेकेदार को यह शपथ पत्र देना होगा कि उसका कोई रिश्तेदार/संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है ।
- (7) किसी भी कारण से यदि संकलन मार्ग पर दुग्ध संकलन कार्य बंद रहता है तो द्वितीय पक्ष को महासंघ से कोई भाड़ा नहीं दिया जायेगा व इसकी सूचना समय पर कर दी जायेगी ।
- (8) दुग्ध वाहन निर्धारित समय से डेयरी डाक पर न पहुंचने की स्थिति में प्रत्येक 15 मिनट के लिए रू. 25/-अक्षरी रूपये पच्चीस मात्र/या खट्टे/फटे दूध से होने वाली हानि की राशि का जो भी अधिक हो द्वितीय पक्ष से बसूला जायेगा ।
- (9) किसी भी प्रकार की हड़ताल या बन्द में ठेकेदार सम्मिलित नहीं हो सकेगा, दुग्ध परिवहन नियमित दिन में दो बार करना होगा, ऐसा न होने की स्थिति में सम्पूर्ण हानि की जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी ।

- (10) ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने की दशा में दूध का जो परीक्षण परिणाम होगा, वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा ।
- (11) महासंघ के कार्य हेतु महासंघ के अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में ले जाना होगा । इसके अतिरिक्त अन्य सामग्री आवश्यकतानुसार वाहन में रखी जा सकेगी । जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी ।
- (12) महासंघ की सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा सामान एवं सवारी दूध वाहन में नहीं ले जाया जायेगा । महासंघ के अधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं जांच के समय यदि उपरोक्त अनियमितता पायी गयी तो उस पाली का भाड़ा महासंघ द्वारा देय नहीं होगा एवं पूर्व में महासंघ एवं संस्था स्तर पर दूध की मात्रा तथा परीक्षण परिणाम में होने वाले अंतर की राशि द्वितीय पक्ष के देयक से काट ली जायेगी । लगातार तीन बार शिकायते रहती है तो वाहन बंद कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षों तक महासंघ की निविदायो में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा । यदि महासंघ द्वारा दिये निर्धारित दिनांक तक समिति में सप्लाई होने वाला सामान द्वितीय पक्ष द्वारा समिति पर नहीं पहुंचाया जाता है तो महासंघ वैकल्पिक व्यवस्था कर सामान पहुंचायेगा, जिस पर होने वाला संपूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष वहन करेगा ।
- (13) द्वितीय पक्ष द्वारा जो कर्मचारी वाहन पर नियुक्त किये जायेंगे, वे महासंघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे । लापरवाही बरते जाने पर महासंघ के आदेशानुसार ठेकेदार को उन पर कार्यवाही कर उन्हें कार्य से अलग करना होगा । ऐसा न करने पर महासंघ ठेका निरस्त कर सकता है ।
- (14) द्वितीय पक्ष का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है व संपूर्ण प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी ।
- (15) द्वितीय पक्ष बिना महासंघ की अनुमति के संकलन कार्य हेतु वाहन नहीं बदल सकता व वाहन खराब होने की स्थिति में केवल एक दिन के लिए बिना अनुमति के वाहन बदल सकेगा, या इसके अतिरिक्त यदि वाहन की मरम्मत में एक दिन से अधिक का समय लगता है तो महासंघ की लिखित अनुमति से ही उस अवधि तक के लिए दूसरा वाहन चला सकता है । ठेके की अवधि में किसी दिन द्वितीय पक्ष अपने दुग्ध संकलन मार्ग की संस्थाओं की संकलित दूध परिवहन हेतु वाहन नहीं भेज पायेगा तो ऐसी परिस्थिति में हानि के रूप में उस दिन संस्थाओं द्वारा संग्रहित दूध का समस्त मूल्य एवं संस्थाओं के हेडलोड की राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जायेगी । उक्त स्थिति में परिवहन महासंघ द्वारा किया जाता है तो उस वाहन का अतिरिक्त भुगतान भी द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से वसूल किया जायेगा । द्वितीय पक्ष मार्ग पर अनुबंधित वाहन का ही उपयोग करेगा । बिना अनुमति के वाहन बदलने पर निराकरण न होने की दशा में देयक से 50 प्रतिशत राशि कटौती की जायेगी एवं समस्त हर्जाने के जिम्मेदार द्वितीय पक्ष होंगा ।
- (16) द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह दो बार देयकों को भुगतान किया जायेगा । प्रथम पखवाड़े को देयक दिनांक 20 को दिये जाने पर 30 तारीख तक भुगतान किया जावेगा । इसी तरह द्वितीय पखवाड़े का देयक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक दिये जाने पर दिनांक 15 तक भुगतान किया जावेगा ।
- (17) वाहन पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा संस्था व महासंघ के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर महासंघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही द्वितीय पक्ष को करनी होगी । कार्यवाही नहीं करने की दशा में प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जावेगी । वाहन ठेकेदार अथवा वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा समितियों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों से किसी तरह का नगद लेन-देन नहीं किया जावेगा और न ही ऐसी किसी राशि का कटौती महासंघ द्वारा उनके देयक से किया जावेगा इसके उपरांत यदि लेन-देन किया जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी वाहन ठेकेदार अथवा वाहन पर कार्यरत कर्मचारी की होगी ।

- (18) महासंघ एवं संस्थाओं द्वारा दी गई दैनिक प्रतिपाली डाक मांग पत्र एवं फ़ैट-वैट स्लिप उसी दिन समय पर पहुंचाने की व्यवस्था की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी । ऐसा न करने पर महासंघ द्वारा प्रतिपाली प्रति संस्था के हिसाब से रु. 5/- (अक्षरी रूपये पांच मात्र) द्वितीय पक्ष के बिल से वसूल किये जावेगे ।
- (19) "वर्षा, प्राकृतिक विपदा एवं अन्य उचित कारण से मार्ग अवरुद्ध होने की दशा में द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पाली के कार्यकाल में पंचनामा प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन को सत्यापन पश्चात मान्य अथवा अमान्य करने का निर्णय प्रबन्ध संचालक महोदय द्वारा लिया जायेगा जो कि द्वितीय पक्ष को अंतिम रूप से मान्य होगा ।"
- (20) द्वितीय पक्ष अनुबन्ध अवधि में यदि ठेके हस्तांतरण करना चाहेगा तो प्रबन्ध संचालक की अनुमति से रूपये 10000/- (अक्षरी रूपये दस हजार मात्र) हस्तांतरण शुल्क महासंघ कार्यालय में जमा कर स्वीकृत दर पर वाहन की स्वीकृत क्षमता, अनुबन्ध की शर्त मान्य करने वाले अन्य व्यक्ति को जिसके नाम से वाहन हो, अनुबन्ध की शेष अवधि के लिए अनुबन्ध की शर्तों को मान्य कराते हुए हस्तांतरित कर सकेगा । इस प्रकार के हस्तांतरण की कार्यवाही 10 दिन पूर्व कार्यालय में उपस्थित होकर सम्पन्न करना होगा । अनुबंध से प्रथम तीन माह तक ठेका हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जावेगी ।
- (21) दुग्ध वाहन में गर्मी एवं वर्षा से बचाव के लिए द्वितीय पक्ष को वाहन पर हुड एवं त्रिपाल/तालपत्री लगाना अनिवार्य होगा । उसी प्रकार दूध से भरे केनों पर खाली बोरी रखकर उस पर पानी छिड़कने की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा वाहन समय पर आने के बावजूद यदि दूध खट्टा/फटा होता है तो हानि की वसूली द्वितीय पक्ष से की जायेगी । हुड एवं त्रिपाल/तालपत्री के ना होने पर प्रबन्ध संचालक को विवेकानुसार पेनाल्टी करने का अधिकार होगा ।
- (22) महासंघ के अधिकारी अथवा सुपरवाइजर द्वारा मार्ग के चेकिंग के दौरान दुग्ध वाहन के कर्मचारियों के द्वारा दूध में गड़बड़ी करते अथवा कराते हुए पाया गया तो मार्ग पर पड़ने वाली सभी संस्थाओं की ठेके के दौरान दूध में जो कमी आयी है व अन्य हानि हुई है वह द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से वसूल की जायेगी । इस संबंध में महासंघ का निर्णय अंतिम एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा । इसी प्रकार दुग्ध समितियों या अन्य जन सामान्य द्वारा वाहन में दूध की हेराफेरी करते हुए पाये जाने पर, उनके फोटो के आधार पर उक्तानुसार हानि की वसूली की जावेगी एवं ठेका निरस्त कर काली सूची में अंकित किया जावेगा ।
- (23) द्वितीय पक्ष के वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी व इसी वजह से महासंघ या संस्था को हानि होगी, वह द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी ।
- (24) डेयरी/दुग्ध शीत केन्द्र की परिधि के अन्दर आने वाले वाहन निर्धारित रफ्तार से ज्यादा गति से नहीं चलाई जावेगी, न ही डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई की जायेगी । इसी प्रकार द्वितीय पक्ष के वाहन ठेकेदार/हेल्पर द्वारा प्लांट परिसर में अनुशासन भंग कार्य किये जाने पर प्रथम पक्ष को स्वविवेकानुसार पेनाल्टी करने का अधिकार होगा ।

- (25) स्वीकृत दर अनुबंधित अवधि में लागू रहेंगे । ठेकेदार को अनुबन्ध अवधि में वाहन हेतु उपयोग में आने वाले डीजल/आईल की व्यवस्था किसी भी परिस्थितियों में स्वयं करने पड़ेगी । इसके लिए किसी प्रकार से व्यवस्था की जवाबदारी महासंघ की नहीं रहेगी । अनुबंधित वाहन में ईंधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जब्त किया जाता है, तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिए अन्य वाहन की व्यवस्था करनी होगी। यदि महासंघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली द्वितीय पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राजसात की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

अनुबन्ध अवधि में डीजल की दर में वृद्धि/कमी होने पर आपसी चर्चा द्वारा अनुपातिक दर से वृद्धि/ कमी की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

वाहन का प्रकार	औसत कि.मी. प्रति लीटर डीजल
ए.सी.ई.	22
मैक्स/पिकअप	15
डी.आई. 207	15
407	10

इस प्रकार औसत कि.मी. पर डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की दरों में वृद्धि/कमी प्रत्येक तीन माह में प्रभावशील डीजल दर से प्रति कि.मी. कमी या वृद्धि की जावेगी।

- (26) द्वितीय पक्ष यदि अनुबंध अवधि के बीच में ठेका/अनुबंध समाप्त करना चाहेगा तो उसे महासंघ को तीन माह पूर्व लिखित में सूचना देना होगा । यदि तीन माह पूर्व की सूचना नहीं दी जाती है तो प्रबन्ध पक्ष को द्वितीय पक्ष की प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार होगा ।
- (27) वर्षा एवं अन्य परिस्थितियों में यदि वाहन संस्था तक नहीं जा सके तो हेडलोड की व्यवस्था महासंघ द्वारा की जावेगी, जिसका भुगतान हेडलोड दूरी के लिए हेडलोड राशि का भुगतान महासंघ द्वारा दुग्ध देयक के माध्यम से संस्था को किया जावेगा एवं कि.मी. के अंतर की राशि का कटौती ठेकेदार के देयक से किया जायेगा ।
- (28) द्वितीय पक्ष को वाहन के साथ कम से कम एक कर्मचारी वाहन चालक के अतिरिक्त रखना होगा जो सामान उतारने एवं चढ़ाने हेतु सहायता एवं सामान की देख रेख करेगा । साथ ही डेयरी/शीत केन्द्र में खाली केन वाहन में भरना, संस्था पर खाली केन उतारना, दूध भरे केन डाक पर उतारना, साथ ही केन के उपर रखी बोरी में बाहर से पानी छिड़कने आदि का कार्य करेगा । दुग्ध परिवहन वाहन पर रखे गये वाहन चालक, परिचालक की उम्र 18 वर्ष से कम न हो तथा लाइसेंसशुदा हो। कर्मचारी के नाम एवं पूर्ण पता फोटो सहित महासंघ को लिखित में देना होगा एवं वाहन चालक के पास मोबाईल होना अनिवार्य आवश्यक होगा । यदि अनुबंधित वाहन मार्ग पर किसी कारण से विलम्ब होती है तो उसकी सूचना संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक एवं आगे की दुग्ध समितियों के सचिवों एवं हेडलोडरो को उनके सम्पर्क नंबरों पर अवगत कराना होगा ।

- (29) दुग्ध वाहन में प्रति पाली ट्रक शीट संस्था के फ़ैट एवं वेट स्लिप दुग्ध वाहन चालक को ले जाना अनिवार्य होगा । वाहन चालक द्वारा ट्रक शीट संस्था के कर्मचारियों से/हेडलोडर से भराया जावेगा, ऐसा न करने पर वाहन के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है जो कि द्वितीय पक्ष को मान्य होगी । ट्रक शीट संस्था के कर्मचारियों द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होगा । डेयरी डाक में वाहन चालक द्वारा प्रतिदिन प्रतिपाली ट्रक शीट से संबंधित दूध पर्ची व मांग पत्र, ट्रक शीट के साथ प्रस्तुत करना होगा । इसके अभाव में संस्थाओं द्वारा प्राप्त शिकायत मान्य होगी व इसी आधार पर द्वितीय पक्ष से संस्था की हानि की राशि वसूली जायेगी ।
- (30) महासंघ द्वारा प्रदाय समस्त सामग्री रसीद/पावती द्वितीय पक्ष के चालक अथवा कन्डेक्टर द्वारा भण्डार के चालान दुग्ध समितियों से प्राप्त कर भण्डार शाखा में देना होगा व महासंघ द्वारा भेजी गयी डाक की पावती भी देनी होगी ।
- (31) महासंघ द्वारा निर्धारित मार्ग को बढ़ाने, घटाने या पुर्नसंरचित करने का अधिकार महासंघ को रहेगा । इस तरह जितना भी दूरी बढ़े या घटे उसमें निर्धारित दर से भाड़ा घटाया अथवा बढ़ाया जा सकेगा ।
- (32) उपरोक्त शर्तों का पालन करने या महासंघ द्वारा समय-समय पर दिये गए निर्देशों/आदेशों और सूचनाओं का ठेकेदार पालन करने हेतु बाध्य होगा, अन्यथा कभी भी ठेका निरस्त करने का अधिकार महासंघ को होगा तथा प्रतिभूति की राशि राजसात की जा सकेगी ।
- (33) दुग्ध वाहन पर प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित रीति से ऐसी सूचनायें दूध विक्रय हेतु नहीं है इस तरह की पट्टियां जिसमें काली पट्टी पर सफेद अक्षरो से अंकित पेंट की हुई लगाना होगा । महासंघ द्वारा दिये गये विज्ञापन प्लेट/पत्र पेटी अपने स्वयं के खर्चे पर आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर अपनी वाहन पर लिखना आवश्यक है ।
- (34) यदि किसी दुग्ध संकलन मार्ग की किसी भी एक या अनेक समितियों में निरंतर दूध या फ़ैट की कमी की शिकायत महासंघ कार्यलय को प्राप्त होती है तो महासंघ के अधिकारी या पर्यवेक्षक सप्ताह में तीन दिन तक उक्त मार्ग के दूध वाहन में साथ जायेंगे । अधिकारी या पर्यवेक्षक दूध वाहन के साथ संलग्न रहने पर उन दिनों के यदि किसी भी संस्था/समिति में कोई कमी नहीं आती है तो यह मानकर दूध या फ़ैट में कमी वाहन स्तर पर ही हो रही है । संस्था/समिति को हुए नुकसान की राशि अनुबन्ध की शर्त क्रमांक 23 के अनुसार संबंधित मार्ग के परिवहन ठेकेदार के देयक से काटी जायेगी ।
- (35) प्रबंध संचालक को महासंघ के हित में यह अधिकार होगा की वह परिवहन ठेके को आवश्यकता न पड़ने पर बिना कोई कारण बताये एक माह के नोटिस पर अनुबंध निरस्त कर सके ।
- (36) दुग्ध संकलन वाहनों से मार्ग पर दुग्ध वितरण का कार्य भी किया जा सकेगा । जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

- (37) एक्सीडेन्ट एवं अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जब्त कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की या तीसरे पक्ष को होने वाली क्षति की पूर्ति की पूर्ण जवाबदारी वाहन के ठेकेदार की होगी एवं महासंघ के सामान के क्षति की राशि की वसूली वाहन ठेकेदार से की जायेगी । साथ ही दुर्घटना के कारण होने वाली सभी देनदारीयां/मुआवजा की जवाबदारी वाहन ठेकेदार की होगी ।
- (38) महासंघ द्वारा समितियों को प्रदाय करने हेतु दी गई सामग्री के चालान की कापी पर संस्था कर्मचारियों के हस्ताक्षर सील सहित पूर्ण कराकर हस्ताक्षरित चालान पुनः महासंघ कार्यालय में जमा करना होगा । हस्ताक्षरित चालान जमा न करने पर संबंधित संस्था को भेजे गए सामान की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जा सकती है ।
- (39) अनुबंध निष्पादन के पश्चात् द्वितीय पक्ष को अनुबंध की अवधि के दौरान समस्त श्रम विधान जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. पर लागू हो अथवा जो समय-समय पर विधान द्वारा लागू किये जावेंगे मान्य होगा । ऐसे सभी विधान के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में समस्त देय राशि जैसे ई. एस. आई. अधिनियम के अन्तर्गत ई.एस.आई. उपादान, भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत भविष्य निधि उपादान तथा वेतन भत्ता अधिनियम के अन्तर्गत वेतन आदि की जवाबदारी वाहन ठेकेदार की होगी । यदि द्वितीय पक्ष उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का भुगतान करने में असफल पाया जाता है अथवा उसके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो समस्त लेनदारी उसके बिलों में से काटने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.. रायपुर को होगा एवं ऐसे कटौती के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा । शासन द्वारा सेम्पल डिक्लेरेशन U/S 194 C(6) फार नाम डिक्लेरेशन आफ टैक्स एट सोर्स भरकर जमा करना होगा ।
- (40) डेरी डाक/शीत केन्द्र पर दुग्ध संकलन के पश्चात् धुले हुए खाली केन, नाम लिखने एवं अन्य कार्य हेतु दो घंटे तक रोके जा सकेंगे तथा यह कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही वाहन को खाली केन प्रदाय किये जायेंगे । इस अवधि में दूध परिवहन वाहन डेयरी/शीत केन्द्र पर रोका जा सकेगा ।
- (41) अनुबन्ध की शर्तों को परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा । कार्य सुविधा/व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए अनुबन्ध की शर्तों में परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसकी पूर्व सूचना द्वितीय पक्ष को दी जायेगी ।
- (42) इस अनुबन्ध पत्र के अन्तर्गत विषयों से संबंधित उभयपक्षों के मध्य उत्पन्न विवाद का निराकरण सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जायेगा ।
- (43) अनुबंध करते समय द्वितीय पक्ष को स्टेट बैंक आफ इंडिया का बचत खाता क्रमांक एवं स्थायी खाता नंबर (PAN) कार्ड की सत्यापित छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा,साथ ही मुख्यालय में वाहन ठेकेदार को मूल दस्तावेज के साथ स्वयं ही उपस्थित होकर अनुबंध सम्पन्न कराना होगा ।

- (44) दूध से भरे केनो की अधिकतम संख्या निम्नानुसार रहेगी-

क्र.	वाहन का प्रकार	केन की संख्या
1	ए.सी.ई.	30
2	मैक्स/पिकअप	40
3	डी. आई. 207	40
4	407 (3 टन)	75

अनुबंधित वाहन में उक्त अधिकतम क्षमता से अधिक केन भी लाये जा सकेंगे। जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

- (45) वाहन चालक मद्यपान कर के वाहन न चलाए, ऐसे वाहन चालको की द्वितीय पक्ष द्वारा निरंतर चैकिंग की जाए तथा दोषियों को सेवा से पृथक किया जावे।
- (46) महासंघ के द्वारा जो भी निर्धारित दुग्ध संकलन मार्ग निश्चित किया गया है, उसी पर वाहन खाली/भरी चलावे, यदि सत्यापन के समय पाया गया कि वाहन निर्धारित मार्ग से नहीं चलाया जा रहा है तो अधिकतम एक पाली के परिवहन का आर्थिक दण्ड किया जावेगा। साथ ही परिवर्तित मार्ग से जो दूरी कम होगी उसका सम्पूर्ण अनुबंध अवधि का कटौती किया जावेगा।
- (47) दुग्ध संयंत्र/दुग्धशीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनो को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।
- (48) दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलर में अवरोध होने पर किसी भी वाहन को अनुबंधित दर पर उन बल्क मिल्क कूलर वाली समितियों में संकलन लाने हेतु भेजा जा सकेगा।
- (49) संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने या टेंकर का परिचालन करने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बंद किया जा सकेगा।
- (50) विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाये जाने पर अनुबंधित दर में 20 प्रतिशत का कटौती किया जावेगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह अवधि तीन दिवस से अधिक नहीं होगी। यदि इस अवधि में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंधित क्षमता का वाहन नहीं लगाया, तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।
- (51) महासंघ द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार ही द्वितीय पक्ष को दुग्ध परिवहन कार्य करना होगा। यदि दुग्ध परिवहन वाहन निर्धारित समय पर दुग्ध परिवहन पाईन्ट पर नहीं पहुंचता है तो ऐसी दशा में समिति कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात् एक घंटे तक परिवहन पाईन्ट पर उपस्थित रहेगा। इस अवधि में भी वाहन दुग्ध परिवहन नहीं करता है तो उस दूध के खट्टे/फट्टे से हुई हानि की राशि एवं उस दूध को डेयरी डाक/शीत केन्द्र तक पहुंचाने में समिति द्वारा किये गये व्यय की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी। इसी प्रकार हेडलोड के समय पर नहीं पहुंचने पर 05 मिनट इंतजार कर अगले पाईन्ट पर जायेगा।

- (52) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाईसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- (53) डेयरी परिधि के अंदर तेज रफतार से वाहन नहीं चलाये जावेंगे, डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नहीं की जावेगी। डेयरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने-धोने जैसे कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो महासंघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका द्वितीय पक्ष देनदार रहेगा, साथ ही बिना अनुमति के नो को पानी भरने में प्रयोग नहीं किया जावेगा। यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो महासंघ द्वारा जो दण्ड दिया जावेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। इसके अतिरिक्त डेयरी परिसर के अंदर आने के पश्चात् जब तक वह वाहन वापस खाली बाहर नहीं जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेगा।
- (54) द्वितीय पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती/कु. संबंध उम्र को पूर्ण होशोहवास में नामांकित घोषित करता है। द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कु. को महासंघ से व्यवहार करने का अधिकार रहेगा। इसकी स्वीकृति के वारिस के हस्ताक्षर करवा कर प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष देगा।
- (55) इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि महासंघ/समितियों की निकलेगी तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की चल/अचल सम्पत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिए भी द्वितीय पक्ष और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।
- (56) वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है तो 24 घंटों में पुनः द्वितीय पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।
- (57) वाहन पर कार्यरत कर्मचारी के विरुद्ध दर्ज अपराधिक प्रकरण में की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से महासंघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो उसका जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवे।
- (58) संकलन वाहन में परिवहन के समय दूध के केन के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं रखी जावेगी, यदि पाई जाती है तो एक दिवस के परिवहन देयक के बराबर राशि दण्ड स्वरूप काटी जावेगी, साथ ही यदि इस कारण दूध खराब हुआ तो दूध की हानि राशि भी द्वितीय पक्ष से काटी जावेगी।
- (59) दुग्ध संकलन मार्ग पर पड़ने वाले टोल टेक्स निविदा में ही दर सम्मिलित करें। जिन मार्गों पर नये टोल टेक्स प्रारंभ होंगे, उनके लिए अलग से भुगतान किया जावेगा।
- (60) निविदा प्रपत्र भी इस अनुबंध का भाग माना जावेगा।
- (61) उपरोक्त के अतिरिक्त ठेका अवधि में दुग्ध महासंघ में प्रचलित नियम निर्देश लागू होंगे।

- (62) समस्त विवादों के निपटारे के लिये न्यायिक कार्य क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा ।
- (63) सफल निविदाकार अनुबंध का कार्य मुख्यालय रायपुर (उरला संयंत्र) में वाहन चलाने के 15 दिवस पहले ही सम्पन्न कराना अनिवार्य है, अन्यथा उक्त मार्ग के सफल निविदाकार की निविदा निरस्त मानी जाएगी।

दुग्ध संकलन परिवहन हेतु निविदा की शर्त एवं नियम 01 से 63 तक मैंने अपने पूर्ण होशोहवाश से पढ़ ली है, जो मुझे मान्य एवं बाध्यकारी है ।

इस अनुबंध पत्र पर उभय पक्ष द्वारा आज दिनांक ----- को दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये गये तथा प्रतिभूति राशि प्रति वाहन ए.सी.ई. हेतु रु. 30000.00, पिकअप हेतु रु. 40000.00 एवं 407 वाहन हेतु रु. 60000.00 में से अर्नेस्ट मनी समायोजन पश्चात् शेष प्रतिभूति राशि को प्रथम तीन परिवहन देयक से समान किश्तों में कटौती किया जावेगा।

मैं द्वितीय पक्षकार अनुबंध की शर्तों का अवलोकन भलि भांति एवं पूर्ण होशोहवाश में कर लिया है एवं निम्न साक्षियों के समक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंध निष्पादित करता हूं।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

प्रबन्ध संचालक

अनुबन्धकर्ता

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

नाम -----
पता -----

गवाह प्रबन्ध पक्ष

अनुबन्धकर्ता के गवाह

1- हस्ताक्षर-----
नाम -----
पता -----

1-हस्ताक्षर-----
नाम -----
पता -----

2- हस्ताक्षर-----
नाम -----
पता -----

2-हस्ताक्षर-----
नाम -----
पता -----

अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी-
उनकी पत्नी का नाम-
हस्ताक्षर-
हमारा स्थायी आयकर खाता क्रमांक (पेन नं.)-

निविदा हेतु अ, ब, स एवं द लिफाफा के उपर लिखे जाने वाले विवरण का प्रारूप

(1) लिफाफा-“अ”

दुग्ध परिवहन निविदा हेतु निविदा प्रपत्र मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी बैंक ड्राफ्ट

(2) लिफाफा-“ब”

पात्रता संबंधी दस्तावेज- वाहन के पेपर, बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि की छायाप्रति।

(3) लिफाफा-“स”

दुग्ध संकलन कार्य हेतु निविदा दर पत्रक

(4) बड़ा लिफाफा-द में लिफाफा अ, ब, एवं स को डाले

दुग्ध संकलन परिवहन कार्य हेतु निविदा
दुग्ध संकलन मार्ग क्रमांक व मार्ग विवरण

प्रेषक-

नाम

पता

.....

मो.नं.

प्रति,

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम-उरला, पोस्ट बी.एम.वाय. चरौदा

जिला-दरग (छ0ग0) पिन कोड 490025